भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 312

05 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई)

312. डॉ. प्रशांत नन्दा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई) की कर्मचारी वेतन संशोधन नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बीपीएनएसआई के कर्मचारियों का वेतन संशोधन मंत्रालय के अधीन अन्य संस्थानों के समान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बीपीएनएसआई और मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अन्य संस्थाओं के लिए पिछली बार कब वेतन संशोधन किया गया था;

(ङ) क्या बीपीएनएसआई के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (ग): बीपीएनएसआई बोर्ड ने दिनांक 27.07.2023 को आयोजित अपनी 21वीं बैठक में 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होने वाले वेतन संबंधी संशोधन को अनुमोदन दे दिया है। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक अन्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी) ने 1 जनवरी, 2023 से वेतन संशोधन लागू कर दिया है।

(घ): बीपीएनएसआई और एनआईएसएसटी दोनों संस्थानों के कर्मचारियों का पिछला वेतन संशोधन जनवरी, 2007 से किया गया था।

(ङ.) और (च): बीपीएनएसआई बोर्ड ने पहले ही 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होने वाले वेतन संशोधन को मंज़ूरी दे दी है।

****